NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 33/NCRES/76/23 Date : 16.1.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– प्रयागराज मण्डल में S&T विभाग के पेन्टर, कारपेन्टर, मेसन, लोहार, केबिल ज्वाइन्टर आदि को ESM के पद पर Re-designate किया जाना।

संदर्भः–(1) DPO/PRYJ का पत्र संख्या E/MPP/Re-distribution/2022 दिनांक 21.11.2022
(2) हेडक्वाटर का पत्र संख्या 797/E/Policy/2022/Re-distribution of Posts दिनांक 10.5.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि "संघ" के संज्ञान में आया है कि प्रयागराज मण्डल के S&T विभाग में बिना यूनियन के सहमति के पेन्टर, कारपेन्टर, मेसन, लोहार, केबिल ज्वाइन्टर आदि कैटिगिरी के पदो को ESM के पद पर Re-designate करके जल्दबाजी में दिनांक 5.12.2022 से 17.5.2022 के बीच आनलाइन ट्रेनिंग करा दी गई एवं आफ लाइन ट्रेनिंग S&T ट्रेनिंग सेन्टर गाजियाबाद में चल रही है।

खेद का विषय है कि कर्मचारियों से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर हेडक्वाटर द्वारा दिनांक 10.5.2022 को पत्र भी जारी किया गया परन्तु यूनियन से सहमति लेना तो दूर, पत्र की प्रतिलिपि भी संघ को नही दी गई, और ऐसी कार्य प्रणाली उचित नही है।

NCRES का अनुरोध है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें।

(1) ESM का पद संरक्षा से जुड़ा एक ऐसा पद है जिसकी एक छोटी सी गलती बड़ी दुघर्टना का कारण बन सकता है।

(2) NCRES का मानना है कि GP-1800 का कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता व वरीयता के अनुसार अनुभव प्राप्त करते हुये GP-1900, GP-2400, GP-2800 में प्रमोट होते हुये बाद में सीनियर टेक्नीशियन सिगनल GP-4200 का महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है, और जो कर्मचारी पूर्व में वर्षो से कारपेन्टर, पेन्टर, मेसन, केविल ज्वाइन्टर, ब्लैक स्मिथ आदि का कार्य कर रहे है, उन्हें सीधे सीनियर टेक्नीशियन (सिगनल) के पद पर पोस्ट किया जाना संरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नही है।

(3) आधुनिक सिगनल का युग इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग का है जो पूर्ण रूप से कम्प्यूटर आधारित है और इसे सीखने के लिये उचित शैक्षिक योग्यता व लम्बा अनुभव होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आर्टीजन कैटेगिरी के कर्मचारी को ESM कैटेगिरी में विभिन्न पदो पर कार्य कराने से दुघर्टना भी हो सकती है।

(4)- टेलीकाम विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी सिगनल विभाग में ESM बनाया जा रहा है जिन्होंने कभी सिगनल विभाग में कार्य ही नही किया।

(5) S&T विभाग के आर्टीजन कैटेगिरी में कार्यरत कर्मचारियों के ESM कैटेगिरी में Re-designate होने के पश्चात सेक्सन पर कारपेन्टर, पेन्टर, मेसन, केबिल ज्वाइन्टर आदि के कार्य करने वाला कोई नही होगा जिससे संरक्षा निश्चित रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है।

अतः NCRES की मांग है कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर मान्यता प्राप्त यूनियन की सहमति के बिना लिये गये निर्णय को वापस लेने का कष्ट करें ताकि रेल की संरक्षा के साथ कर्मचारी हित प्रभावित न हो।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री